FACILITIES EXTENDED TO SENIOR CITIZENS

The following facilities have been extended from time to time to Senior citizens:

- (i) In the computerized Passenger Reservation System (PRS) there is a provision to allot lower berths to Senior Citizens, Female passengers of 45 years and above automatically, even if no choice is given, subject to availability of accommodation at the time of booking.
- (ii) A combined quota of six to seven lower berths per coach in Sleeper class, four to five lower berths per coach each in Air Conditioned 3 tier (3AC) and three to four lower berths per coach in Air Conditioned 2 tier (2AC) classes (depending on the number of coaches of that class in the train) has been earmarked for senior citizens, female passengers 45 years of age and above and pregnant women.
- (iii) Instructions have been issued for earmarking a minimum of 07 seats for senior citizens in 1st and last 2nd class general compartment for entire period of local train services on suburban sections of all Zonal Railways.
- (iv) Instructions already exist for provision of Wheel Chair at stations. The Wheelchairs are provided by Railways on its own cost and are given to attendants of Persons with disabilities (Divyangjan), Senior Citizens absolutely 'free of cost' to escort them from and to the trains. However, whenever attendants are not willing or available, porters (Sahayaks) can be hired on pre-fixed nominal rate to escort the Persons with disabilities (Divyangjan) etc. Information in this regard is displayed at prominent places in railway station premises. Provision of one wheelchair per platform and in case of island platforms one wheel chair per two platforms at all major stations.
- (v) Yatri Mitra Sewa has been introduced at major railway stations for enabling passengers to book wheel chairs services cum porter services free of cost through NGOs, Charitable trust, PSUs etc under Corporate Social Responsibility (CSR).
- (vi) Provision of Battery Operated Vehicles (BOVs) at some stations for Persons with disabilities (Divyangjan), Senior Citizens, Sick passengers and Pregnant women has been made 'free of cost' through CSR and commercial publicity route as well as on chargeable basis.
- (vii) After departure of the train, if there are vacant lower berths available in the train and if any person with disability booked on the authority of handicapped concession or a senior citizen or a pregnant woman, who has been allotted upper/middle berth, approaches for allotment of vacant lower berths, the on board Ticket Checking Staff has been authorized to allot the vacant lower berth to them making necessary entries in the chart.
- (viii) Separate counters are earmarked at various Passenger Reservation System(PRS) centers for dealing with the reservation requisitions received from ladies, persons with disabilities, Senior Citizens, Ex. MPs, MLAs, accredited journalists and freedom fighters, if the average demand per shift is not less than 120 tickets. In case there is no justification for earmarking of an exclusive counter for any of these categories of persons including ladies, Persons with disabilities or senior citizens, one or two counters depending upon the total demand are earmarked for dealing with the reservation requests for all these categories of persons.

वरिष्ठ नागरिकों को दी गई स्विधाएं

वरिष्ठ नागरिकों को समय-समय पर निम्नलिखित स्विधाएं प्रदान की गई हैं:

- (i) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में विरष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को बुकिंग के समय बर्थ की उपलब्धता के अध्यधीन, कोई विकल्प न दिया जाने पर भी, स्वत: रूप से निचली बर्थ आवंटित करने का प्रावधान है।
- (ii) विरष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में प्रति कोच छह से सात निचली बर्थ, वातानुकुलित 3 टियर (3एसी) में प्रति कोच चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकुलित 2 टियर (2एसी) श्रेणियों में प्रति कोच तीन से चार निचली बर्थ (गाड़ी में उस श्रेणी के कोच की संख्या के आधार पर) का एक संयुक्त कोटा, निर्धारित किया गया है।
- (iii) सभी क्षेत्रीय रेलवे के उपनगरीय-खंडों पर लोकल गाड़ी सेवाओं की पूरी अविध के लिए प्रथम और अंतिम द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे में विरष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम 07 सीटें निर्धारित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- (iv) स्टेशनों पर व्हील चेयर के प्रावधान के लिए अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। व्हीलचेयर रेलवे द्वारा अपनी लागत पर प्रदान की जाती हैं और दिव्यांगजन, विरष्ठ नागरिकों के पिरचारकों को उन्हें गाड़ियों से लाने और ले जाने के लिए बिल्कुल 'नि:शुल्क' दी जाती है। हालांकि, जब भी पिरचर इच्छुक या उपलब्ध नहीं होते हैं, तो दिव्यांगजनों आदि को सहायता करने के लिए कुलियों(सहायक) को पूर्व-निर्धारित नाममात्र दर के किराए पर लिया जा सकता है। इस संबंध में सूचना रेलवे स्टेशन पिरसर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाती है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक व्हीलचेयर और आइलैंड प्लेटफार्मों के मामले में प्रति दो प्लेटफार्मों पर एक व्हील चेयर का प्रावधान हैं।
- (v) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सीएसआर के तहत एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, पीएसयू आदि के माध्यम से व्हील चेयर सेवाओं सह कुली की सेवाएं मुफ्त में बुक करने में सक्षम बनाने के लिए यात्री मित्र सेवा शुरू की गई है।
- (vi) दिव्यांगजनों, विरेष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ स्टेशनों पर बैटरी संचालित वाहनों (बीओवी) का प्रावधान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी(सीएसआर) और वाणिज्यिक प्रचार मार्ग के तहत 'नि:शुल्क' के साथ-साथ प्रभार्य आधार पर बनाया गया है।
- (vii) गाड़ी चलने के पश्चात, यदि गाड़ी में कोई खाली निचली बर्थ उपलब्ध हैं और कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसने रियायत के अधिकार पर टिकट बुक किया हो या वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे अपर/मिडिल बर्थ आवंटित की गयी है, टिकट निरीक्षक के पास निचली बर्थ आवंटित करने का अनुरोध लेकर आता है तो टिकट निरीक्षक को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियों को दर्ज कर उनको खाली बर्थ आवंटित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (viii) महिलाओं, दिव्यांगजनों, विरष्ठ नागरिकों, पूर्व सांसदो, पूर्व विधायकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानी से प्राप्त आरक्षण मांग से निपटने के लिए विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर अलग काउंटर बनाएं गए हैं यदि प्रति पाली औसत मांग 120 टिकट से कम नहीं है। यदि महिलाओं, दिव्यांगजनों या विरष्ठ नागरिकों की इन श्रेणियों के लिए विशेष काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं हैं, तो इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों से प्राप्त मांगपत्रों से निपटने के लिए कुल मांग के आधार पर एक यां दो काउंटर निर्धारित किए जाते हैं।